रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2004/आश्विन 15, 1926

No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2004/ASVINA 15, 1926

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 657(अ).—भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश का कार्यकाल भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों के कल्याण आयुक्त का समवर्ती प्रभार संभालने के लिए 29-3-2004 से एक वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, इन दोनों में जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 21/21/2002-भोपाल सैल]

रमेश इन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2004

G.S.R. 657(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Justice Shri Deepak Verma, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from 29-3-2004 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 21/21/2002-B.Cell]

RAMESH INDER SINGH, Jt. Secy.

3013 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.